



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 865572

(प्राप्ति-अ)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन कार्मिकी संस्थानों की सोसाइटी/ट्रस्ट के प्रबंधक और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का पालन

हेम विजय छात्रों एवं वालती देवी क्रमशः प्रबंधक एवं सचिव गंगाराम अभयराज चालिका विद्यालय समिति, पल्लू— बनकठवा प्रतापपुर चमुखा अम्बेडकरनगर शपथपूर्तक निम्नवत् बयान करते हैं—

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा एम० एम० लॉलेज ऑफ कार्मिकी, याता कट्टौती अम्बेडकरनगर नामक डिप्लोमा इन कार्मिकी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्ताविता है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम गंगाराम अभयराज चालिका विद्यालय समिति बनकठवा प्रतापपुर चमुखा अम्बेडकरनगर मे गाठा संख्या 2826ए, 2826ब, 2861, 3029, 2810 एवं रक्कड़ा 1.095 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी गाढ़ किसी भी नामांकण में नहीं घल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाठा संख्या 2826ए, 2826ब, 2861, 3029, 2810 एवं रक्कड़ा 1.095 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन कार्मिकी संस्थान की स्थापना किये जाने का द्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 27.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्राकृतिक डिप्लोना इन फार्मेसी संस्थान संचालन हेतु भवनों का निरीक्षण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर अधिकृत एवं नियांसित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी कार्यालय आर्क इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्वेषण ही डिप्लोना इन फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी कार्यालय आर्क इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश शर्तों के अनुसार ही पाठ्यक्रम में ज्ञानिक प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी कार्यालय आर्क इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, ल०३० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न हो पूर्व में कभी किया गया है, और न हो भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक चलास कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी कार्यालय आर्क इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के बानकों के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक टीकिंग एवं अंकींशिक रूपाय की तैयारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा शार्त प्राप्ति के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्णीत नियंत्रण/आदेशों का भलीभांति पालन करता है। यदि मेरे संस्था में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की नियमण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया नियंत्रण अन्वय होगा एवं मुझे नान्य होना। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में पूरी रूप सुनिश्चित है। यदि दी गयी जानकारी एवं अधिलेख/दस्तावेज फली, कूटरचित्त त्रुटीया त्रुटीया यीर्त जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत दायरेवालों की जा सकती। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रूप से जांचना चाहता हूँ।

४० प्रबंधक

मा। अंती देवी  
४० सचिव